

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 202/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार बिजौलिया | बनाम | 1. प्रकाशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता दौलतराम
बैरवा, कंचन देवी पत्नी दौलतराम बैरवा
निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया |
|---|------|---|

-प्रार्थी

-विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम
14(4)**

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. श्री देवी लाल गाडरी अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.01.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा की आ.न. 22 रकबा 2.13 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 10.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 22.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा की आ.न. 22 रकबा 2.13 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगण का कब्जा है। विपक्षीगण ने आवंटन शर्तों की पालना की है व उक्त भूमि पर काबिज है। विपक्षीगण का आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी को खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा की आराजी नं. 22 रकबा 2.13 बीघा का विधिवत तौर आवंटन कर कब्जा सुपूर्द किया गया। पटवार हल्का द्वारा गलत मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर, गलत तथ्यों पर उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के करीब 30 वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम खडीपुर के आ.न. 22 रकबा 2.13 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम खडीपुर के आराजी नं. 22 रकबा 2.13 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम खडीपुर की आ.न. 22 रकबा 2.13 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01 .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा